PBR/पुनर्विलोकन/झाबुआ/भू.रा./2017/1917

(1187)

## न्यायालय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

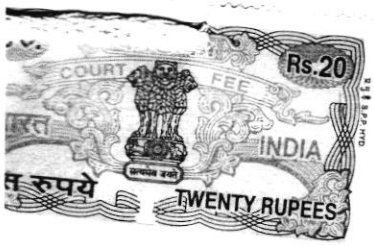

नानालाल पिता चम्पालाल राठौड़
निवासी पेटलावद जिला–झाबुआ(म.प्र.) ..........................आवेदकगण

–: विरूद्ध :–

भेरूलाल पिता चम्पालाल राठौड़ व अन्य
निवासी पेटलावद जिला–झाबुआ(म.प्र.) ........................अनावेदकगण

**पुनः विचार हेतु श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत**

मान्नीय महोदय,

आवेदक पुत्र राकेश द्वारा पेश

**आवेदक कि और से पुनः विचार याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4077/पी0बी0आर0/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22/09/2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर, प्रकरण क्रमांक183/अपील/2013–14 के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण क्रमांक 4077/पी0बी0आर0/2015 आदेश दिनांक 07/06/2017 में पारित आदेश में श्रीमान् के समक्ष कुछ तथ्य संज्ञान में लाने हेतु निवेदन श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है कि :–

1. प्रकरण क्रमांक निगरानी 4077 पी0बी0आर0/2015 पेज क्रमांक 04 पेरेग्राफ नम्बर 05 में इस प्रकार है कि :–

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रचलित बटवारे प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उठाया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के निराकरण हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिये तीन माह का समय नहीं दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न पर तहसीलदार व्यवहार वाद प्रस्तुत करने हेतु तीन माह के लिये कार्यवाही स्थागित करेगे। इसके अतिरिक्त प्रकरण में सहखातेदारों द्वारा उठाई गई आपत्ति का भी विधिवत निराकरण तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है, स्पष्ट है तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि व न्याय कि भूल कि गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

**पुनः विचार के तथ्य श्रीमान् समक्ष संज्ञान लाने हेतु**

श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष सह. खातेदारों ने स्वत्व का प्रश्न इसलिये उठाया गया था, कि हमारे बीच में कृषि भूमि अन्य सर्वे नम्बर कि कुल 11 खाते स्थित है जिसमें से 1 सर्वे नंम्बर 294 जो कि मेरे पिताजी चम्पालालजी के द्वारा अलग से खरीदा गया था, यह जमीन सर्वे नम्बर 294 रकबा 3.81 हेक्टर कि कृषि भूमि का कुछ अंश मेरे पिता

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / पुनर्विलोकन / झाबुआ / भू.रा. / 2017 / 1917 जिला झाबुआ

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25–7–2017 | आवेदक के द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4077–पीबीआर / 15 में पारित आदेश दिनांक 22–9–15 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक की ओर से इस न्यायालय के आदेश को व्यवहार वाद कमांक 51–ए / 2012 में हुये समझौतानामा बतलाया गया, जबकि व्यवहार वाद में जो समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें तहसीलदार का आदेश दिनांक 3–1–2012 और रकबा 5.85 एकड़ का उल्लेख है, जबकि इस प्रकरण में तहसीलदार का आदेश दिनांक 4–1–2013 रकबा 3.020 हेक्टेयर से संबंधित है जिसमें मुख्य रूप से भेरूलाल तथा नानालाल हितबद्ध पक्षकार है, अतः आवेदक की ओर से उठाये गये उपरोक्त आधार इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप के लिये पर्याप्त नहीं है ।<br>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |